

11-50
न्यायालय:- श्रीमान् राजस्व मण्डल खालियर मण्डल 1

प्रकरण क्रमांक ---/91-92नि0मा01

R 2421/91

19 न
959
न

1-शमजीलाल

2-रघुनाथ सिंह

3-सियाराम

पुत्रगण गंगाराम

4-श्रीमती रामकटोरी पुत्री गंगाराम पतिन बलराम

जाति कड़ेरे निवासीगण ग्राम लोरिका जिला

मुरैना मध्य-प्रदेश 1

-----प्रत्याधारेण 1

विरुद्ध

1- शंकर सिंह पुत्र श्रीचंद मृतक वारिसान :-

अ-जाकिरी विधावा शंकर सिंह

ब-कटोरी पुत्री शंकर सिंह

क-निवासी ग्राम डाडोरा तहसील वाड़ी जिला धौलपुर रा स्थान 1

द-रामवती पुत्री शंकर सिंह पतिन अरगत ग्राम मंगलपुरा तहसील खालियर 1

े-रबीको पुत्री शंकर सिंह पतिन अज्ञात गामडीमह तहसील वाड़ी जिला धौलपुर

रा स्थान 1

क-परिमाल पुत्र शंकर ग्राम जन्कपुर मौजा जकावर परगना जिला मुरैना मध्य-प्रदेश 1

-----प्रत्याधारेण 1

2-कोका पुत्री गंगाराम मृतक वारिस मुन्नी

नावालिम पुत्री नारो पिता स्वयं निवासी

गुलेन्डा तहसील व ठोठस परगना मुरैना

-----प्रत्याधारेण 1

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांकित 30-9-91 न्यायालय

अपर आयुक्त प्रम्वल सभा निवासी खालियर 1 प्रकरण क्रमांक

230/31-8200मा01 अन्तर्गत द्वारा 50 मण्डल-10र10मा0

260-I

एसके के शर्मा 26/10/91

30/10/91

26/11/91
श्रीमान् राजस्व मण्डल खालियर

श्रीमान् राजस्व मण्डल खालियर

श्रीमान् राजस्व मण्डल खालियर

श्रीमान् राजस्व मण्डल खालियर


16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 242-एक/1991

जिला-मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-08-14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 7-4-1993 से लगातार अनुपस्थित हैं। प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 12-8-2014 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 7-4-1993 से 12-8-14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे। वहीं सुनवाई दिनांक 12-8-2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रुचि नहीं है। प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 1991 से लंबित चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रुचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>